न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

1. प्रकरण संख्या 3/2016 (बांसवाड़ा आर्डर)

मांगीलाल पिता नगजी मीणा, जाति भील, निवासी खमेरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी घटोल, जिल बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

2. प्रकरण संख्या 4/2016 (बांसवाड़ा आर्डर)

राजकुमार पिता लक्ष्मीलाल मीणा, जाति भील, निवासी वडलीपाडा खमेरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी घटोल, जिल बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

3. प्रकरण संख्या 5/2016 (बांसवाड़ा आर्डर)

छगनलाल पिता लक्ष्मीलाल मीणा, जाति भील, निवासी वडलीपाडा खमेरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी घटोल, जिल बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपीलें अन्तर्गत धारा–75 राज. भू–राजस्व
अधि.1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर
बांसवाड़ा दिनांक 17–05–2016, प्रकरण
संख्या क्रमशः 1/2016, 2/2016, 3/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1— श्री हीरालाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट

2— राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 22—01—2018**

उपरोक्त तीनों अपीलें एक ही प्रकृति के प्रकरण से संबंधित होने तथा विचारणीय बिन्दु एवं तथ्य समान प्रकृति के होने से तीनों प्रकरणों का ही साथ निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक—एक प्रति संबंधित पत्रावली पर संलग्न की जावे।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 के दौरान जिला कलक्टर के यहां अपीलान्ट/विपक्षी एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) प्रस्तुत कर अपील संख्या 3/16 के अपीलान्ट को ग्राम खमेरा की आराजी नंबर 561 रकबा 0.53 हैक्टर, अपील संख्या 4/16 के अपीलान्ट को आराजी नंबर 1359/562 रकबा 0.50 हैक्टर तथा अपील संख्या 5/16 के अपीलान्ट को आराजी नंबर 562 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि का आवंटन किये जाने के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि सभी अपीलान्ट/विपक्षी उक्त ग्राम के नहीं होकर अन्य ग्राम के निवासी हैं तथा उनका मौके पर कब्जा नहीं है तथा उन्होंने कभी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। आवंटन के समय अपील संख्या 3/16 का अपीलान्ट सरपंच का दामाद था तथा अपील संख्या 4/16 व 5/16 के अपीलान्ट सरपंच के पुत्र थे। उक्त भूमियां अभी भी पड़त होकर कोई काश्त नहीं की गयी है। अतएवं उक्त आवंटन निरस्त किये जावे।

पटवारी की मौका रिपोर्ट के साथ पत्रावली प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट विपक्षी को सुनवाई के अवसर दिये गये, जिस पर उनके द्वारा खण्डन के जवाब प्रस्तुत किये गये।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद तीनों अपीलों को अपने निर्णय दिनांक 17—05—2016 से रेस्पोन्डेन्ट/ प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी को किये गये आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में यह अपीलें दिनांक 20—06—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर तीनों अपीलों में रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

तीनों प्रकरणों में अपीलान्ट द्वारा जो तथ्य बताये गये हैं उनमें सिर्फ पक्षकार का नाम तथा आवंटित भूमि के खसरा नंबर व रकबा परिवर्तित है, शेष तथ्य तीनों प्रकरणों में समान हैं। अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अपीलान्ट को वर्ष 2006 में आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा है। उक्त भूमि पहाड़ी नुमा है, परन्तु काश्त होती है। अपीलान्ट सद्भावी काश्तकार हैं। राजनैतिक द्वेषतावश आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवंटन में किसी प्रकार का फ्रोड या मिसरिप्रेजेन्टेशन नहीं हुआ है तथा लम्बी अवधि के बाद इस प्रकार के आवंटन निरस्त नहीं किये जा सकते।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि इस तथ्य से कोई निषेध नहीं है कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच द्वारा अपीलान्ट संख्या 4/16 व 5/16 के अपीलान्ट जो कि उसके पुत्र हैं तथा अपील संख्या 3/16 का अपीलान्ट जो उसका दामाद है तथा सभी आवंटित भूमि के ग्राम के निवासी नहीं हैं, उन्हें आवंटन सलाहकार के सदस्य रहते हुए आवंटन किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी पक्षकार अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इस प्रकरण में अपीलान्ट जो कि आवंटित भूमि के ग्राम के निवासी नहीं हैं तथा किसी एक ग्राम में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य होने के बावजूद अपने पुत्रों एवं दामाद को जो कि अन्य

ग्राम के निवासी हैं, उन्हें भूमि का आवंटन किये जाने को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार से विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता एवं इसे फ्रोड कहना पूर्णतया उचित होगा, क्योंकि यदि पात्रता एवं योग्यताधारी अन्य कोई व्यक्ति उपलब्ध है तो चयन के समय चयन समिति में उसके रिश्तेदार को भाग नहीं लेना चाहिए, जो कि इस प्रकरण में नहीं हुआ है तथा चयन समिति के सदस्य के रूप में सरपंच ने भूमि का आवंटन अपने दो पुत्रों एवं दामाद को जो कि उस ग्राम के निवासी भी नहीं है, उन्हें करवाया है, जो कि प्रथम दृष्टया फ्रोड एवं मिसरिप्रेजेन्शन से होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त योग्य है।

दूसरा अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर समयावधि में काश्त किये जाने की भी कोई साख्य नहीं है, जिससे आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना भी प्रमाणित होता है। प्रकरण में जहां तक अपीलान्ट का यह कहना कि खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है, यह कदापि विधि की मंशा नहीं है तथा इस बाबत् अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध हैं जहां प्रारम्भ से आवंटन विधि विरूद्ध होने से अवधि बाधित नहीं है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना एक समयागत प्रक्रिया है।

अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 834 प्रस्तुत की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि यहां पर आवंटन प्रारम्भ से अवैध है तथा फ्रोड एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन से संबंधित है। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसी प्रकार की न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2009 पेज 177 में प्रस्तुत की गयी है जो भी उपरोक्त नजीर से ही संबंधित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर 2007 आर.आर.डी. पेज 713 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें आवंटित भूमि पर विकास कार्य कर लिये जाने के कारण आवंटन निरस्त नहीं किये जा सकने का कथन किया गया है, जबकि इस प्रकरण में स्पष्टया फ्रोस एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन के तथ्यों को छुपाया गया है, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1144, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 99, आर.आर.डी. 1993 पेज 596, आर.आर.डी. 1992 पेज 651, 2013 (1) Cr.L.R. (राज.) पेज 452, आर.आर.डी. 1994 पेज 365 एवं आर.आर.डी. 1986 पेज 137 प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

समग्रता अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–05–2016 यथावत रखे जाते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर